पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2019 ई0 (फाल्गुन 25, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–11

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	151–167	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	525–538	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	25–34	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 01/XXXI(4)/19/06 (विविध)/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री कपिल कुमार, निजी सचिव, वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, पे–मैट्रिक्स स्तर–10 को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरानत वरिष्ठ निजी सचिव, वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700, पे–मैट्रिक्स स्तर–11 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप संबंधित वरिष्ठ निजी सचिव को उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4. संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ) के प्रकरण में मा0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका (S.L.P.) संख्या–10600–10601/2011, श्री कृष्ण कुमार मदान व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय तथा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–239/2016 (एस0/बी0), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित/परमार्जित किया जायेगा।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

24 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 88/XX–7/2019–01(69)2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से अग्रसारित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 है।

(2) यह उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त समस्त पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) पर लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम–5 के उपनियम (अ) (2), (अ) (2) (ग), (अ) (3) (ख), ब के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	विद्यमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
अ(2).	निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पुरुष/महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी से तैंतीस (33) प्रतिशत संवर्गवार पदोन्नति परीक्षा द्वारा।	अ(2). निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पुरुष/महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी एवं सशस्त्र पुलिस के आरक्षी से तैंतीस (33) प्रतिशत विभागीय पदोन्नति परीक्षा द्वारा।
अ(2)(ग).	विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित किया जाता हैं तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जाँच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा।	अ(2)(ग). विगम 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड ना मिला हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो। दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित किया जाता हैं तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ मुहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जाँच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मुहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा। टिप्पणीः–जहाँ विद्यमान नियमों से उप निरीक्षक के पद पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचारण करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी दशा में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
	में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
अ(3)(ख)." विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो। दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता हैं तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जाँच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा।	अ(3)(ख)." विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो विगत 05 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षें में कोई लघु दण्ड ना मिला हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो। दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित किया जाता हैं तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियाँ मुहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जाँच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मुहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा। टिप्पणीः–जहाँ विद्यमान नियम से उप निरीक्षक के पद पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचारण करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी दशा में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
ब. निरीक्षक–उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई की तिथि तक पूर्ण कर ली हो और विगत 10 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो।	ब. निरीक्षक–उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक पूर्ण कर ली हो। विगत 05 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड ना मिला हो एवं विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो। टिप्पणी:–जहाँ विद्यमान नियम से निरीक्षक के पद पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नत किए जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, ऐसी दशा में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान परिशिष्ट (5) के भाग (घ) तथा (ङ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान परिशिष्ट	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट*
(घ) सेवा अभिलेख 50 अंक (1) कोर्स 10 अंक अधिकतम (क) 03 दिन से 07 दिन तक का कोर्स– 02 अंक (ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स– 04 अंक (ग) 15 दिन से 30 दिन तक का कोर्स– 06 अंक (घ) 01 माह से अधिक का कोर्स– 08 अंक (जिसमें बेसिक एवं रिफ्रेशर कोर्स की गणना नहीं की जायेगी।)	(घ) कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से किया जायेगा। आरक्षी/मुख्य आरक्षी के पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी द्वारा किए गए कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किए जायेंगे:– (1) कोर्स (10 अंक अधिकतम) (क) 03 दिन से 07 दिन तक का कोर्स– 02 अंक (ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स– 04 अंक (ग) 15 दिन से 30 दिन तक का कोर्स– 06 अंक (घ) 01 माह से अधिक का कोर्स– 08 अंक

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान परिशिष्ट	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट*
(I) बेसिक कोर्स के अन्तर्गत निम्नलिखित कोर्स रखें जायेंगे– 1. कान्स0 का आधारभूत प्रशिक्षण, 2. मुख्य आरक्षी पदोन्नति कोर्स, 3. ड्राइवर कोर्स, बम डिस्पोजल कोर्स, आरमोरर कोर्स, बिगुलर कोर्स, शैडो गनर कोर्स, आईटीआई–पीटीआई कोर्स, घुड़सवार पुलिस कोर्स, यातायात कोर्स, कुम्भ मेला प्रशिक्षण, सीसीटीएनएस कोर्स, आपदा कोर्स। 4. उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी ऐसे कोर्स/ प्रशिक्षण, जो किसी पद पर नियुक्ति हेतु किए जाने अनिवार्य हों।	
(II) किसी तकनीकी पद जैसे बम डिस्पोजल स्क्वायड, आरमोरर, बिगुलर, चालक इत्यादि पद पर चयन होने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी द्वारा किए गए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अंक प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार प्रदान किए जायेंगे।	
(ङ) ऋणात्मक अंक : (1) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रतिकूल सत्यनिष्ठा पर प्रत्येक सत्यनिष्ठा के लिए 05 अंक की कटौती होगी। (2) विगत 05 वर्ष से पूर्व 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के 'प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य' पर 02 अंक की कटौती की जायेगी। (3) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर 05 अंक की कटौती होगी। (4) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी। (5) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।	(ङ) ऋणात्मक अंक : (1) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल सत्यनिष्ठा/ दीर्घ दण्ड के लिए 05 अंक की कटौती होगी। (2) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी। (3) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

नियम 21 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 21 के उप नियम (2) (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
(2)(ख) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उप निरीक्षक एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा से चयनित उप निरीक्षक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50% तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के 50% को जोड़कर संवर्गवार तैयार की जायेगी।	(2)(ख) सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उप निरीक्षक एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा से चयनित उप निरीक्षक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने–अपने संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% को जोड़कर संवर्गवार तैयार की जायेगी।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of **"The Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 88/XX-7-2018-01(69)2016,** dated January 24, 2019 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

January 24, 2019

No. 88/XX-7-2019-01(69)2016--In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act no. 1 of 2008), the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amend the Uttarakhand Police Sub-Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service Rules, 2018.

THE UTTARAKHAND POLICE SUB-INSPECTOR AND INSPECTOR (CIVIL POLICE/ INTELLIGENCE) (AMENDMENT) SERVICE RULES, 2019

Short title extent and commencement

1. **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Police Sub-Inspector and Inspector (Civil Police /Intelligence) (Amendment) Service Rules, 2019.
(2) It shall apply to all Sub-Inspectors and Inspectors (Civil Police /Intelligence) appointed in the state of Uttarakhand .
(3) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 5, B

2. In the Uttarakhand Police Sub-Inspector and Inspector (Civil Police/ Intelligence) Service Rules, 2018 (herein after referred to as the principal rules) for the existing sub rule (A)(2), (A)(2)(c), (A)(3)(b), B of rule 5 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted as follows, namely-

Column–1 Existing Rule	Column–2 Rule as hereby substituted
(A)(2) 33 Percent posts shall be filled by promotion on the basis of departmental exam of such male and female head constable /constable employees of civil police /intelligence fullfilling the following eligibility criteria:-	(A)(2) 33 percent posts shall be filled by departmental promotional examination from such male/female head constable /constable of civil Police/intelligence and constable of armed police fullfilling the following eligibility criteria:-

(A)(2)(c) The service records for the last five years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded and integrity should not have been withheld during the last 5 years. If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed /rejected or he is punished in the departmental proceedings/ prosecution , the concerned employee shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings/ prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then the result of such employee will be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision."

(A)(2)(c) The service records for the last 05 years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded, no major punishment has been awarded during the last 05 years, no minor punishment has been awarded during the last 05 years and the integrity has not been withheld during the last 05 years. Appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is pending against any such employee and Prosecution is registered /under investigation / under trail in the court then such employee shall be allowed to appear conditionally for the said promotion, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected or he is punished in the departmental proceedings/ prosecution, the concerned employee shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings / prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then the result of such employee will be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision." The sealed envelope of the concerned employee will be opened only after the completion of inquiry/departmental proceeding or after the final decision in prosecution, in analogy of decision.

Note- Whereas any difficulty arises in consideration of promotion of employees promoted to the post of Sub-Inspector through selection process from existing rules, in that case it will be dealt inaccordance with The Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (outside the purview of Public Service Commission) Rules, 2013, as amended from time to time.

(A)(3)(b) The service records for the last five years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found and to be recorded, integrity should not have been withheld during the last 5 years. If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected or he is punished in the departmental proceedings/ prosecution, the concerned employee shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings/ prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then such candidate may be considered on the basis of other document and recommendations regarding them shall be kept in a sealed envelope. The sealed envelope may be opened after the decision of enquiry/departmental proceeding and the result of criminal proceeding as per their decision.

(A)(3)(b) The service records for the last five years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded, no major punishment has been awarded during the last 05 years, no minor punishment has been awarded during the last 05 years and the integrity has not been withheld during the last 05 years. Appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee and Prosecution is registered/under investigation /under trail in the court then such employee shall be allowed to appear conditionally for the said promotion, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected or he is punished in the departmental proceedings / prosecution, the concerned employee shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal /departmental roceedings/ prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then the result of such employee will be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. The sealed envelope of the concerned employee will be opened only after the completion of inquiry/ departmental proceeding or after the final decision in prosecution, in analogy of decision.

Note- Whereas any difficulty/ arises in consideration of promotion of employees promoted to the post of Sub-Inspector through selection process from existing rules, in that case it will be dealt in accordence with The Uttarakhand

(B) Inspector- For regular promotion to the post of Inspector, such Sub-Inspectors (Civil Police/Intelligence) shall be eligible, who have completed 10 years of service on the post of Sub-Inspector, as on the 01st day of July of the year of recruitment and the service records for the last 10 years is satisfactory.

Procedure of Selection for Promotion in the State Services (outside the purview of Public Service Commission) Rules, 2013, as amended from time to time.

(B) Inspector- For regular promotion to the post of Inspector, from Sub-Inspectors (Civil Police /Intelligence), such Sub-Inspector shall be eligible, who have completed 10 years of service on post as on the 01st day of July of the year of recruitment.

The service records for the last 05 years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded, no major punishment has been awarded during the last 05 years, no minor punishment has been awarded during the last 05 years and the integrity has not been withheld during the last 05 years.

Note- Whereas any difficulty arises in consideration of promotion of employees promoted to the post of Inspector through selection process from existing rules, in that case it will be dealt in accordence with the Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (outside the purview of Public Service Commission) Rules, 2013, as amended from time to time.

Amendment of appendix-5

3. In the principal Rules, the part (D) and (E) of Appendix as set out in column-1 below the Appendix as set out in column-2 shall be substituted as follows, namely-

Column–1 **Existing Appendix**	**Column–2** **Appendix hereby substituted**
(D) Service records 50 Marks: **(1) Course (Max 10 marks)** (a) 3 days to 7 days course 02 marks (b) 8 days to 14 days course 04 marks (c) 15 days to 30 days course 06 marks (d) One month and above 08 marks (basic and refresher course shall not be	**(D)** The course will be determined at the Director General of Police level before issuance of advertisement based on the existing challenges before police in a transparent manner. After the selection/ appointment on the post of constable/ Head Constable, the marks

admitted)

(i) Basic course shall comprise of the following:

1. Fundamental training for the constable.
2. Promotion for Head constable.
3. Driver course, Bomb disposal course, Armourer course, Bigular course, Shadow Gunner course, ITI-PTI course, Police horse riding course, Traffic police course, Kumbh mela training, CCTNS course, diasaster course.
4. All the other courses except those mentioned above which are necessary for recruitment to any such post.

(ii) For a technical post such as bomb disposal squad, armourer, biguler, driver the concerned employee on being selected for these posts shall be awarded marks for the high level training done by him on the basis of the time period of the training.

E. Negative Marking

(a) 05 marks shall be deducted for withholding integrity against the earlier for last 05 years.

(b) 02 marks shall be deducted for adverse annual entry against 05 year before last 05 years.

(c) 05 marks shall be deducted for a major punishment before the last 05 years.

(d) 02 marks shall be deducted for the minor punishment before the last 05 years.

(e) 01 marks shall be deducted for every Petty Punishment before the last 05 years.

of the course done by the concerned employee will be given the as per training period as follows.

(1) Course (Maximum 10 Marks)

(A) Course for 3 days to 7 days 02 marks

(B) Course for 8 days to 14 days 04 marks

(C)Course for 15 days to 30 days 06 marks

(D) Course for above 01 month 08 marks

E. Negative Marking

(a) For every adverse integrity/major punishment before the last 05 years - 05 marks shall be deducted for every entry.

(b) For every minor punishment before the last 05 years - 02 marks shall be deducted for every entry.

(c) For every Petty offence before the last 05 year-01 marks shall be deducted for every entry.

Amendment of Rule 21

4. In the principal Rules, for the existing sub rule (2)(b) of Rule 21 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted as follows, namely-

Column–1 Existing Rule	Column–2 Rule as hereby substituted
(b) Final Seniority list of selected Sub Inspector by direct recruitment and selected Sub Inspector from department promotion exam shall be	**(b)** Final Seniority list of selected Sub Inspector by direct recruitment and selected Sub Inspector from departmental promotion examination in

Column-1 *Existing Rule*	Column-2 *Rule as hereby substituted*
prepared by counting 50% the marks obtained in departmental selection examination and 50% of the marks obtained in training after completing the training successfully by the selected candidates.	their respective cadre shall be prepared by counting 50% of the marks obtained in departmental selection examination and 50% of the marks obtained in training after completing the training successfully by the selected candidates cadrewise.

By Order,

NITESH KUMAR JHA,
Secretary.

सूचना अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

06 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 56/XXII(2)/2019–34(सू0)2003टी0सी0–II–राज्यपाल, उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"उत्तराखण्ड फिल्म (संशोधन) नीति–2019"

प्रस्तर 6 (2) का संशोधन	1.	उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 (जिसे आगे मूल नीति कहा गया है), के प्रस्तर–6 (2)(ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हुए, प्रस्तर–6 के उप प्रस्तर (2) के खण्ड (ङ), (च) तथा (छ) को विलोपित कर दिया जायेगा:– "(ग) बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करना : प्रदेश के 600 मीटर से ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में बन्द पड़े सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करते हुए, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई, 2017) से जमा किए गए एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सिनेमाघर को की जायेगी।
प्रस्तर 7 का संशोधन	2.	मूल नीति के प्रस्तर–7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जोयगा:– उत्तराखण्ड फिल्म विकास निधि : (क) सिनेमा टिकटों पर ₹ 01 प्रति टिकट की दर से फिल्म विकास निधि के रूप में सिनेमागृह स्वामियों द्वारा दर्शकों से वसूल करके, प्रतिमाह कोषागार में जमा किया जायेगा। प्रति टिकट ₹ 01 पर टैक्स की देयता सम्बन्धित द्वारा कर विभाग को की जायेगी। फिल्म विकास निधि द्वारा उक्त निधि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जायेगा:– (i) क्षेत्रीय फिल्मों, हिन्दी भाषा एवं अन्य प्रदेशों की भाषा की फिल्मों को अनुदान उपलब्ध कराना। (ii) विलोपित कर किया जायेगा। (iii) फिल्मों का वित्त पोषण। (iv) फिल्म पुरस्कार। (v) फिल्मों के लिए अवस्थापना का विकास। (vi) फिल्मोंत्सव। (vii) छात्रवृत्ति हेतु। (viii) व्यवसायिक दृष्टिकोण से फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले टूर (Familiarisation Tour) हेतु वाहन/आवास/भोजन इत्यादि की व्यवस्था।

		(ix) फिल्म शूटिंग के उद्देश्य से फोटो/विडियों का निर्माण किया जाना। (x) राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय फिल्म समारोह हेतु शासन की अनुमति से स्पांसरशिप। (xi) फिल्म विकास परिषद् द्वारा निर्धारित फिल्मों से संबंधित अन्य सभी कार्य। (xii) जमा किए गए उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) के निर्धारित अंश की अनुमन्यता के आधार पर प्रतिपूर्ति। फिल्म विकास निधि का संचालन उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा। "निधि के संचालन के लिए पृथक से नियमावली बनाई जायेगी। (ख) निधि की स्थापना हेतु आरम्भिक रूप से राज्य सरकार द्वारा ₹ पाँच करोड़ मात्र कारपस फण्ड/सीड मनी (Corpus Fund/ Seed Money) के रूप में प्रदान किया जायेगा। (ग) विलोपित कर दिया जायेगा।
प्रस्तर 8 का संशोधन	3.	मूल नीति के प्रस्तर–8 के खण्ड (क) तथा (च) को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हुए, खण्ड (झ) के पश्चात् नये खण्ड (ञ) तथा (ट) जोड़ दिया जायेगा:– "(क) उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक अनुमति की औपचारिकताओं को सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से सुगम बनाया जायेगा। सिंगल विंडो सिस्टम में ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जायेंगे। जिसमें सभी संबंधित विभाग ऑन लाइन संस्तुति सूचना विभाग को एक सप्ताह में प्रेषित करेंगे। तदोपरान्त सूचना विभाग द्वारा ऑन लाइन अनुमति भी प्रदान की जायेगी। (च) उत्तराखण्ड में शूटिंग होने वाली फिल्मों के लिए शूटिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। सिंगल विंडों सिस्टम के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा, वन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित शूटिंग शुल्क को पूर्णतयाः समाप्त समझा जायेगा। राज्य के शासकीय विभागों द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् द्वारा निर्गत अनुमति–पत्र के आधार पर संबंधित फिल्म निर्माता–निर्देशक से शूटिंग हेतु किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा परन्तु शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से ही कोई पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो, तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका वहन संबंधित को किया जायेगा। (ञ) उत्तराखण्ड राज्य से बाहर, मुम्बई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जहाँ पर भी पर्यटन विकास परिषद् के जनसम्पर्क अधिकारी तैनात है, उन्हें फिल्म निर्माता–निर्देशकों से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। (ट) फिल्मों की शूटिंग अवधि में पुलिस विभाग के संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से कम से कम 05 पुलिस कर्मी, फिल्म निर्माता के अनुरोध पर शूटिंग अवधि तक निःशुलक उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे अधिक संख्या में पुलिस कर्मी पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।"

प्रस्तर 9 का संशोधन	4.	मूल नीति के प्रस्तर–9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगाः– फिल्म इकाईयों के लिए आवासी सुविधा : 'परिषद्' द्वारा चयनित स्थलों पर लोक निजी सहभागिता के आधार पर आवासीय फिल्म काम्प्लेक्स बनाये जायेंगे, जिसमें उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा के साथ ही फिल्म तकनीशियनों एवं अन्य सहायक स्टॉफ के लिए भी आवासीय प्रबन्ध होगा। इन काम्प्लेक्सों के साथ ही फिल्म यूनिट के आवागमन के लिए लक्जरी बसों तथा उपकरण ढुलान के लिए ट्रकों आदि को आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। (क) गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम के सभी अतिथि गृहों में फिल्म यूनिटों को शूटिंग की अवधि में 50 प्रतिशत छूट पर आवासीय सुविधा अनुमन्य होगी एवं उक्त 50 प्रतिशत की धनराशि की प्रतिपूर्ति यथाप्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अधीन अन्य सभी विभागों के अतिथि गृहों में नियमानुसार भुगतान के आधार पर सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रस्तर 11 का संशोधन	5.	मूल नीति के प्रस्तर 11 के खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगाः– मानव संसाधन का विकास एवं प्रोत्साहन : (ग) Film and Television Institute, Pune/Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata में प्रवेश लेने वाले राज्य के मूल निवासी छात्र–छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 25,000/– की अधिकतम छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
प्रस्तर 12 का संशोधन	6.	मूल नीति के प्रस्तर 2 मेंः– (1) खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हुए, प्रस्तर–12 के खण्ड (ङ) को विलोपित कर दिया जायेगाः– फिल्मों का वित्त पोषण : (ग) उक्त उप समिति, गुण–अवगुण के आधार पर वित्त पोषण चाहने वाली सभी व्यावसायिक फिल्मों की एक प्राथमिकता सूची तैयार करेगी तथा उपयुक्त फिल्मों हेतु वित्त पोषण करने के संबंध में निम्न शर्तों के अधीन विचार करेगीः– (i) फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग राज्य में की गई हो। (ii) उक्त फिल्म के माध्यम से राज्य के प्रचार–प्रसार के संबंध में पारस्परिक सहमति से अनुबन्ध–पत्र (M.O.U.) बनाना होगा। (iii) सेंसर बोर्ड का प्रमाण–पत्र। (iv) उक्त वित्त पोषण फिल्म की निर्माण लागत का 30 प्रतिशत या 1.5 करोड़, जो भी कम हो, से अनधिक होगा। (2) खण्ड (घ) के पश्चात् एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगाः– परन्तु यह कि परिषद् के सभी गैर सरकारी सदस्यों/उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत न होने की स्थिति में फिल्म शूटिंग/निवेश संबंधी प्रस्तावों को फिल्म नीति के अन्तर्गत सुविधाएँ/अनुदान/वित्त पोषण प्रदान किए जाने के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को प्राधिकृत किया जाता है। महानिदेशक, सूचना द्वारा फिल्म शूटिंग/निवेश संबंधी प्रस्तावों पर उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् के मा0 अध्यक्ष (मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

प्रस्तर 13 का संशोधन	7.	मूल नीति के प्रस्तर–13 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगाः– (क) क्षेत्रीय फिल्मों को कर में छूट–प्रदेश में क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण परिषद् का गठन किया जायेगा। इससे उत्तराखण्ड में निर्मित फिल्में विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। प्रमाणीकरण के पश्चात् क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित क्षेत्रीय फिल्मों को उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई, 2017) से जमा किए गए एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इससे क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्रीय फिल्मों का विकास होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर होंगे। उत्तराखण्ड फिल्म प्रमाणीकरण परिषद् का गठन राज्य फिल्म विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा। उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय फिल्मों का सेंसर सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद उत्तराखण्ड के सिनेमा गृहों व मल्टीप्लेक्स स्वामियों द्वारा क्षेत्रीय भाषा की फिल्म को प्रतिदिन, एक सप्ताह तक व्यवसायिक Terms पर अनिवार्य रूप से दिखाया जाना आवश्यक होगा। (ख) एन0सी0वाई0पी0 द्वारा निर्मित बाल फिल्मों को भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को बिना पूर्व प्रदर्शन के उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई, 2017) से जमा किए गए एस0जी0एस0टी0 के 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति संबंधित को की जायेगी। (ग) फिल्म निर्माण से संबंधित उपकरणों यथा, कैमरा, क्रेन, ट्रॉली, रिफलेक्टर, जनरेटर, स्टार्म फैन, ध्वनि व प्रकाश उपकरणों पर उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई, 2017) से पाँच वर्ष तक जमा किए गए एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति संबंधित को निधि द्वारा की जायेगी। (घ) जिन फिल्मों की 75 प्रतिशत शूटिंग अथवा कुल आउटडोर शूटिंग दिवसों के आधे से अधिक शूटिंग उत्तराखण्ड राज्य में हुई हो, उन्हें गुण–दोष के आधार पर फिल्म विकास परिषद् द्वारा पूर्व प्रदर्शन के उपरान्त उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम, 2017 के लागू होने की तिथि (01 जुलाई, 2017) से जमा किए गए एस0जी0एस0टी0 के 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति संबंधित को की जायेगी।
प्रस्तर 19 का संशोधन	8.	मूल नीति के प्रस्तार–19 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगाः– उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् (Uttarakhand Film Development Council) :– उत्तराखण्ड फिल्म नीति के अन्तर्गत एक राज्य फिल्म विकास परिषद् का गठन किया जायेगा, जिसका नाम उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् होगा। परिषद् में अधिकतम 18 सदस्य होंगे। उक्त परिषद् का स्वरूप अग्रसारित होगाः–

<table>
<tr>
<td>प्रस्तर 19 का संशोधन</td>
<td>8.</td>
<td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>मा0 मुख्यमंत्री अथवा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकृत सूचना मंत्री</td><td>अध्यक्ष</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>फिल्म/कला/संस्कृति क्षेत्र के फिल्म विशेषज्ञ</td><td>वरिष्ठ उपाध्यक्ष</td><td>01</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>उत्तराखण्ड क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि/समाजसेवी/क्षेत्रीय अथवा हिन्दी भाषा की फिल्मों के विशेषज्ञ</td><td>उपाध्यक्ष</td><td>01</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों व अन्य हिन्दी फिल्मों से जुड़े फिल्मकार/लाइन प्रोड्यूसर/सिनेमा एक्जीब्यूटर/विषय विशेषज्ञ (नामित)</td><td>सदस्य</td><td>07</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>प्रमुख सचिव, वन/प्रमुख वन संरक्षक</td><td>सदस्य</td><td>01</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड</td><td>सदस्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी</td><td>01</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रस्तर 19 का संशोधन</td>
<td>8.</td>
<td>(क) परिषद् गठन हेतु वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री जी को होगा।

(ख) परिषद् के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नामित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

(ग) अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों के साथ परिषद् का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

(घ) "फिल्म विकास परिषद् में नामित गैर सरकार सदस्यों के योगदान/कार्यों की संतोषजनक स्थिति का फिल्म विकास परिषद् के अध्यक्ष (मा0 मुख्यमंत्री) द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन किया जा सकेगा तथा किसी भी स्तर पर उक्त संबंध में असंतोषजनक स्थिति पर बिना पूर्व सूचना के उक्त सदस्यता समाप्त किए जाने का निर्णय मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया जा सकेगा।"</td>
</tr>
</table>

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

01 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 118/XVIII(3)/2019–3(6)2016–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 3) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या–70/1–14–2000–49(2)–94–81, दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।:–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
ऊधमसिंह नगर	सितारगंज	किलपुरी	कल्यानपुर
			देव नगर
			निर्मल नगर
		नानकमत्ता	दुसरी

आज्ञा से,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी)।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of The Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 118/XVIII(3)/2019-3(6)2016,** dated February 01, 2019 for general information.

NOTIFICATION

February 01, 2019

No. 118/XVIII(3)/2019-3(6)2016--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. NO. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation *vide* Govt. Notification No. 70/1-14-2000-49(2)-94-81, dated March 10, 2000 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Udham Singh Nagar	Sitarganj	Kilpuri	Kalyanpur
			Dev Nagar
			Nirmal Nagar
		Nanakmatta	Doasri

By Order,

SUSHIL KUMAR,
Secretary In-charge.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/124–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2019 ई0 (फाल्गुन 25, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 19, 2019

No. 73/XIV-a-52/Admin.A/2015–Ms. Jayshree Rana, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 20.08.2018 to 15.02.2019, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II(Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009, dated 24.08.2009 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

January 23, 2019

No. 106/I-H-1/SLSA/2019–In view of the powers conferred under Section-9(3) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule-12(1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2015 and in pursuance of the recommendation dated 21.01.2019 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Secretary, District Legal Services Authority in the district mentioned against their name:–

NOTIFICATION

January, 2019

No. /III-A-8/SLSA/2019–Shri Sandip Kumar Tiwari, Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Haridwar is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal.

NOTIFICATION

January, 2019

No. /III-A-05/SLSA/2019–Ms. Neha Kushwaha, Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital {now promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.)} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun.

NOTIFICATION

January, 2019

No. /III-A-11/SLSA/2019–Shri Ashok Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli {now promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.)} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Member Secretary.

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

January 30, 2019

Endorsement no. 65/I-04-2016–Certified that the charge of the office of the Judicial Magistrate, I[st] Class, Pithoragarh has handed over under the orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital *vide* notification no. 37/UHC/Admin.A/2019, dated January 21, 2019 as hereinafter denoted, in the afternoon of 29.01.2019.

NEHA QAYYUM,
Judicial Magistrate, I[st] Class,
Pithoragarh.

Counter-signed
(Illegible)
District Judge,
Pithoragarh.

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

January 30, 2019

Endorsement no. 66/I-03-2016–Certified that the charge of the office of the Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh has handed over under the orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital *vide* notification no. 38/UHC/Admin.A/2019, dated January 21, 2019 as hereinafter denoted, in the afternoon of 29.01.2019.

AKRAM ALI,
Civil Judge (Jr. Div.),
Pithoragarh.

Counter-signed
(Illegible)
District Judge,
Pithoragarh.

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

January 30, 2019

Endorsement no. 67/I-03-2016–Certified that the additional charge of the office of the Civil Judge (Jr. Div.), Dharchula, District Pithoragarh has handed over under the orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital *vide* notification no. 38/UHC/Admin.A/2019, dated January 21, 2019 as hereinafter denoted, in the afternoon of 29.01.2019.

AKRAM ALI,
Civil Judge (Jr. Div.),
Pithoragarh.
[Additional Charge
Civil Judge (Jr. Div.),
Dharchula, Pithoragarh.]

Counter-signed
(Illegible)
District Judge,
Pithoragarh.

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

January 30, 2019

Endorsement no. 68/I-01-2019–Certified that the charge of the office of the Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh was taken over under the orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital *vide* notification no. 43/UHC/Admin.A/2019, dated January 21, 2019 in the afternoon of 29.01.2019.

RASHMI GOYAL,
Civil Judge (Sr. Div.),
Pithoragarh.

Counter-signed
(Illegible)
District Judge,
Pithoragarh.

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

06 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 8309/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2018–19/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिजय कर, उत्तराखण्ड अग्रसारित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16/ओ0सी0 टिकट, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / स्टैम्प की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म / स्टैम्प को अवैध घोषित किए जाने का कारण
1.	सर्वश्री सिंघल ग्रेनाईट हॉउस, दीपलोक कॉलोनी, चकराता रोड, देहरादून। टिन–05000991462	प्रारुप–XVI (10)	U.K. VAT-M 2012 814834, 817905, 817904, 452507, 4524611, 8117901, 1922965, 1922932, 1922950, 4524668	खोने के कारण
2.	सर्वश्री सिंघल ग्रेनाईट हॉउस, दीपलोक कॉलोनी, चकराता रोड, देहरादून। टिन–05000991462	ओ0सी0 टिकट (05)	U.K. VAT-D 2009 07268 To 07272	खोने के कारण

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

14 फरवरी, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 8459 / रा0कर आयु0 उत्तरा0 / रा0क0मु0 / विधि–अनुभाग / 18–19 / देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 60 / 2019 / 03(120) / XXVII(8) / 2019, दिनांक 06 फरवरी, 2019 एवं 22 / 2019 / 108(120) / XXVII(8)2019, दिनांक 11 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः अधिसूचना संख्या 514, दिनांक 29 जून, 2017 में संशोधन किए जाने एवं वर्ष 2015–16 के लिए कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण दिनांक 30 जून, 2019 किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

06 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 60 / 2019 / 03(120) / XXVII(8) / 2019–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06), की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 914 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है में, अग्रसारित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्–

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी के स्तम्भ (2) में क्रम सं0 1 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का उपयोग, जब निर्यात, ऐसे निर्यातों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के पश्चात् पहले ही कर दिया गया हो, कराधेय माल (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त माल से भिन्न) के विनिर्माण और पूर्ति में किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रभाव का प्रमाण पत्र, माल और सेवा कर के अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी पूर्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो;

परन्तु यह और कि यदि निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया गया है तो ऐसा प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं होगा।";

(ii) उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 के सामने "पूर्व आयात आधार पर" शब्दों का लोप किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 15 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित हुई समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 60/2018/3(120)/XXVII(8)/2019,** dated February 06, 2019 for general information.

NOTIFICATION

February 06, 2019

No. 60/2019/3(120)/XXVII(8)/2019--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 147 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment in the Notification of the Government of Uttarakhand Finance, Section-8, Notification no. 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated 10th November, 2017, hereinafter referred to as the said notification namely:--

In the said notification,

(i) In the Table, the column number (2) against S.No. 1, after the entry, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that goods so supplied, when exports have already been made after availing input tax credit on inputs used in manufacture of such exports, shall be used in manufacture and supply of taxable goods (other than nil rated or fully exempted goods) and a certificate to this effect from a chartered accountant is submitted to the Jurisdictional Commissioner of GST or any other officer authorised by him within 6 months of such supply,;

Provided further that no such certificate shall be required if input tax credit has not been availed on inputs used in manufacture of export goods.";

(ii) In the Explanation of the said notification against serial number 1 the words "on pre-import basis" shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 15th day of January, 2019.

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

11 फरवरी, 2018 ई0

संख्या 22/2019/108(120)/XXVII(8)/2002–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005), की धारा 32 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के अधीन वर्ष 2015–16 के लिए कर–निर्धारण अथवा पुनः कर–निर्धारण दिनांक 30 जून, 2019 किया जा सकेगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 22/2019/108(120)/XXVII(8)/2002,** dated February 11, 2019 for general information.

NOTIFICATION

February 11, 2019

No. 22/2019/108(120)/XXVII(8)/2002--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 32 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), the Governor is pleased to order that tax assessment or tax reassessment under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 for the year 2015-16 may be made upto dated 30th June, 2019.

(विधि–अनुभाग)

21 फरवरी, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 8557/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 23/2019/19(120)/XXVII(8)/2012, दिनांक 18 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017–18 से संबंधित वार्षिक विवरणी दिनांक 30.06.2019 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा किए जाने तथा दिनांक 30.06.2019 के उपरान्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विलम्ब शुल्क देय अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

18 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 23/2019/19(120)/XXVII(8)/2012–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005), की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35 की उपधारा (6) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारण वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दिनांक 30.06.2019 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा की जा सकेगी। दिनांक 30.06.2019 के उपरान्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 23/2019/19(120)/XXVII(8)/2012,** dated February 18, 2019 for general information.

NOTIFICATION

February 18, 2019

No. 23/2019/19(120)/XXVII(8)/2012--WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 and sub-section (6) of Section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005),read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act.1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in rule 11 of the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005, the Governor is pleased to declare that the annual return related to the tax assessment year 2017-18 may be filed upto 30.06.2019 without any late fee. After 30.06.2019, late fee shall be payable as per provisions of the Act and Rules.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

01 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 03/टी0आर0/पंजी0नि0/HR51GA-1834/2019–वाहन संख्या HR51GA-1834 (TRUCK), मॉडल 1998, चेसिस संख्या 373011BRQ701760 तथा इंजन नं0 697D22BRQ714273, कार्यालय में श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी पुरानी गल्ला मण्डी सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR51GA-1834 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011BRQ701760 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

30 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 125/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-0992/2019–वाहन संख्या UK06CB-0992 (TRUCK), मॉडल 1997, चेसिस संख्या 373011FSQ723059 तथा इंजन नं0 697D22FSQ775233, कार्यालय में श्री लईक अहमद पुत्र श्री अमीर बक्स, निवासी मार्फत श्री सुल्तान, 775, सिरौली कला, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CB-0992 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011FSQ723059 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

30 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 126/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-9070/2019–वाहन संख्या UK06CA-9070 (TRUCK), मॉडल 2002, चेसिस संख्या 429005MYZ727024 तथा इंजन नं0 10L62209538, कार्यालय में मैसर्स राहुल रोड कैरियर्स, म0नं0 283–बी, फजलपुर मैहरौला, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CA-9070 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 429005MYZ727024 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

30 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 127/टी0आर0/पंजी0नि0/UP03-3425/2019–वाहन संख्या UP03-3425 (TRUCK), मॉडल 1998, चेसिस संख्या 357010LRQ8222878 तथा इंजन नं0 497SP21LRQ2773956, कार्यालय में श्री शानू अली पुत्र श्री सादिक हुसैन, निवासी लाम्बा खेड़ा, खानपुर, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP03-3425 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357010LRQ8222878 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

30 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 128/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-0994/2019–वाहन संख्या UK06CB-0994 (TRUCK), मॉडल 1991, चेसिस संख्या 364073854418 तथा इंजन नं0 692D01873511, कार्यालय में श्री मनोज जोशी पुत्र श्री नारायण दत्त जोशी, निवासी लाल पुर आंशिक, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CB-0994 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364073854418 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

पूजा नयाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश

आदेश

16/17 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 57/ला0/निलम्ब0/2019–विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
1.	श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह, निवासी–55, अठूरवाला भानियावाला, ऋषिकेश	यूके–1420180094537, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
2.	श्री देविन्द्र सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह, निवासी–192, शान्ति नगर, बनखण्डी, ऋषिकेश	यूके–1420100014317, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
3.	श्री योगेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री नन्दन सिंह बिष्ट, निवासी–14 बीघा, मुनि की रेती, टिहरी	यूके–1420030011473, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	थानाध्यक्ष, कर्णप्रयाग	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
4.	श्री ओशियार सिंह पुत्र श्री रामनारायण सिंह, निवासी–माचागर हातरा, गोपालगंज, बिहार	बीआर–2820170087589, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	कांटे की पर्ची नहीं दिखाई गई	15.01.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
5.	श्री इकबाल पुत्र श्री माजिद, निवासी–नौवा मुजफ्फरनगर, यूपी	यूपी–1220070003583, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
6.	श्री मोहमद शमीम पुत्र श्री मो0 शकील, निवासी–200, रामगढ़ पनजीपुर, पो0 कुराशी, तह0 कोईल, अलीगढ़	यूपी–8120150031659, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह

आदेश

16/17 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 62/ला0/निलम्ब0/2019–विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लाइसेन्सधारकों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अभियोग में अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अग्रसारित चालक अनुज्ञप्तियों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक अनर्ह करती हूँ:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या / श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही अनर्ह
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गोविन्द पाल पुत्र श्री मनीराम, निवासी–14 बीघा, ऋषिकेश	यूके–1420060004067, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
2.	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राम कुमार, निवासी–बनखण्डी, ऋषिकेश	यूके–1420070092303, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	15.12.2018 से 14.06.2019 तक अनर्ह
3.	श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी–जीवनवाला, भानियावाला, देहरादून	यूके–1420170100161, मोटर साइकिल व कार	उप पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक एडमिन एण्ड आर0डी0 रोड सेफ्टी, चण्डीगढ़	रेड लाइट जम्प	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
4.	श्री गापेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी–रमेश व्यास ढालावा, ऋषिकेश	यूके–1420090024620, हल्का मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोलन, हि0प्र0	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	15.12.2018 से 14.06.2019 तक अनर्ह
5.	श्री मो0 रफी पुत्र श्री अली मोहम्द, निवासी–273, मालवीय नगर, बापूग्राम, ऋषिकेश	यूके–1420090005230, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
6.	श्री रमेश कुमार सक्सेना पुत्र श्री मकु लाल सक्सेना, निवासी–रेशम माजरी, देहरादून	यूके–1420160092028, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
7.	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, निवासी–फागूल, टिहरी गढ़वाल	यूके–1420050024737, मोटर साइकिल व कार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, हरियाणा	ओवर स्पीड	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
8.	श्री गबेर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी–ग्राम नोर, पो0–फकोट, टिहरी गढ़वाल	यूके–1420020034470, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	भार वाहन में ओवर लोड	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
9.	श्री भरत सिंह गुसांई पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी–टी–2 बी, कोटी कॉलोनी, टिहरी	2205 / ऋषिकेश / 2005, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	ओवर स्पीड	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
10.	श्री अमित कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी–कुडकावाला, डोईवाला, देहरादून	15485 / ऋषिकेश / 2008 मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
11.	श्री गंगा दास पुत्र श्री सुखपाल सिंह, निवासी–12, बापू ग्राम, ऋषिकेश	यूके–1420150081403, मोटर साइकिल	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह

1	2	3	4	5	6
12.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, निवासी–60, बसकटल, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	यूके–1420130058263, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी	भार वाहन में ओवर लोड	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
13.	श्री विजय मोहन भट्ट पुत्र श्री नत्थी लाल, निवासी–213, गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके–1420090008307, मोटर साइकिल	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
14.	श्री अजीत मोहन विजलवाण पुत्र श्री विशान मनी विजलवाण, निवासी–अमितग्राम, गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके–1420130051230, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
15.	श्री करन भारद्वाज पुत्र श्री संजय भारद्वाज, निवासी–13, बिडला फार्म, हरिपुर कलां, देहरादून	यूके–1420150053426, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
16.	श्री अनिल सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र सिंह, निवासी–क्यार्क भटवाडी, उत्तरकाशी	यूके–1420040020279, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
17.	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी–नन्द किशोर टीपीटी क0, ऋषिकेश	यूके–1420000050140, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
18.	श्री युसफ अली पुत्र श्री राजीव अली, निवासी–श्यामपुर, गुमानीवाल, ऋषिकेश	यूके–1420110029063, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस उपायुक्त, पंचकुला	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
19.	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री राझा राम, निवासी–14 बीघा, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल	यूके–1420020008163, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	पुलिस उपायुक्त, पंचकुला	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
20.	श्री गोपाल रावल पुत्र श्री पद्युमन कुमार रावल, निवासी–200, बनखण्डी, ऋषिकेश	यूके–1420110034230, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	22.12.2018 से 21.03.2019 तक अनर्ह
21.	श्री निकेतन जोशी पुत्र श्री रघुवीर जोशी, निवासी–रानी पोखरी, ऋषिकेश	यूके–1420030037034, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
22.	श्री रामनन्द पुत्र श्री जोंद लाल प्रसाद, निवासी–बंगला दोगी, टिहरी गढ़वाल	यूके–1419950019277, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
23.	श्री कुलदीप चौहान पुत्र श्री सुमन सिंह, निवासी–नेपाली फार्म, ऋषिकेश	यूके–1420110059642, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह

1	2	3	4	5	6
24.	श्री अनिल चौहान पुत्र श्री प्रेम सिंह चौहान, निवासी–जोशीयाडा, उत्तरकाशी	7651/ऋषिकेश/05, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	शराब का सेवन कर, वाहन का संचालन करना	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
25.	श्री गजेन्द्र सिंह रौथान पुत्र श्री सुदर्शन सिंह, निवासी–अमितग्राम, ऋषिकेश	यूके–1420140075969, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
26.	श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री छवि राम, निवासी–गुमानीवाला श्यामपुर, ऋषिकेश	यूके–1420090006295, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
27.	श्री चन्द्रकान्त चौहान पुत्र श्री गुणान्नद चौहान, निवासी–तुलसी विहार, गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके–1420150083472, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
28.	श्री सुरज पुत्र श्री ओमवीर, निवासी–भीम नगर, सोनीपत, हरियाणा	31829, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
29.	श्री सौरव शर्मा पुत्र श्री प्रमोद शर्मा, निवासी–बी–153, मवाना हिल्स, मेरठ	एस–54997/मेरठ/2009, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
30.	श्री विजय कुमार सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी–आवास–विकास, रुड़की, हरिद्वार	यूके–1720150004545, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
31.	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी–खोजेपुर, पो0–गुरसाडा पिसवान, सीतापुर, उ0प्र0	यूपी–3420140007369, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	15.12.2018 से 14.03.2019 तक अनर्ह
32.	श्री रईस अहमद पुत्र श्री इसलाम, निवासी–लालबाडा, मंगलौर, रूड़की, हरिद्वार	यूके–0820120081796, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	भार वाहन में यात्री ले जाना	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
33.	श्री आलोक कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी–1152, राजाका ताजपुर, बिजनौर, यू0पी0	यूपी–2020140009791, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
34.	श्री सौफत यार खान पुत्र श्री मिसरयान खान, निवासी–16, कमालपुर, मीरपुर, बरेली, यूपी	यूपी–2520150008711, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	ओवर स्पीड	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
35	श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री बिनामी सिंह, निवासी–रामघाट, बुलन्दशहर, यूपी	यूपी–1320100021853, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	भार वाहन में ओवर लोड	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह

1	2	3	4	5	6
36.	श्री राम धनी राम पुत्र श्री श्री निवास, निवासी–आर्य नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार	यूके–0819880070746, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	भार वाहन में ओवर लोड	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
37.	श्री पवन कुमार पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी–टोका नगला, जमनीवाला, पौंटा साहिब, हि0प्र0	एचपी–17201000020179, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	ओवर स्पीड	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
38.	श्री जयप्रकाश पुत्र श्री शमेशर सिंह, निवासी–इमलोठ, पो0 कलूपूरा गबाना, अलीगढ़, यूपी	यूपी–8119980074803, कार, हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	ओवर स्पीड	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह
39.	श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी–कोठी नं0 6, गली–1, दया नगर, अमृतसर, पंजाब	3357, मोटर साइकिल व कार	सहा0संभ0परि0अ0, ऋषिकेश	मोबाइल का प्रयोग	31.12.2018 से 30.03.2019 तक अनर्ह

डा0 अनीता चमोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/124–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2019 ई0 (फाल्गुन 25, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी

05 दिसम्बर, 2018 ई0

पत्रांक–607/नपा0उपविधि/गजट/2018–19–नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड, जनपद उत्तरकाशी द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0) नगरपालिका अधिनियम, 1916, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 की धारा–298 (2) लिस्ट जे0(डी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड के निर्माण कार्यों के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियन्त्रण के लिए पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुए, ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि बनाई गई है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, से आपत्तियों एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की गई। निर्धारित समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने के फलस्वरूप पालिका परिषद् की बोर्ड बैठक दिनांक 12.04.2018 में अन्तिम रूप से स्वीकार करते हुए, उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2018

1. परिभाषाएँ :–

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड, जनपद उत्तरकाशी के ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि–2018 कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।
2. निकाय–निकाय का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड से है।
3. बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा से है।
4. अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।
5. अध्यक्ष–अध्यक्ष का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
6. अधिशासी अधिकारी–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड से है।

7. पंजीकरण–पंजीकरण का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है।
8. ठेकेदार–ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड में समस्त निर्माण कार्य, पुननिर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हो, को करने का इच्छुक व्यक्ति हो।
9. श्रेणी–श्रेणी का तात्पर्य, ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2. पंजीकरण की प्रक्रिया :–

नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड के निर्माण कार्य (सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य) एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तें/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:–

1. वह भारत का नागरिक हो तथा नगरपालिका परिषद् सीमान्तर्गत या जनपद उत्तरकाशी में कम से कम 05 वर्ष से निवास करता हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण–पत्र दो पासपोर्ट साइज फोटो सहित देनी होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।
3. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (श्रेणीवार) हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

अ	प्रथम श्रेणी के लिए	15.00 लाख
ब	द्वितीय श्रेणी के लिए	10.00 लाख
स	तृतीय श्रेणी के लिए	2.00 लाख

4. प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्र विभाग, नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद्, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 2.00 करोड़ के अनुबन्ध (बॉन्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी0 एण्ड पी0 (मिक्सचर मशीन/बाइबरेटर/जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।
5. द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख अनुबन्ध (बॉन्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा।)
6. तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम एक वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।
7. प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग (जी0एस0टी0) से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा आयकर एवं व्यापार कर (जी0एस0टी0) पंजीकरण प्रमाण–पत्र, प्रार्थना–पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3. जमानत :–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थाई जमानत राशि राष्ट्रीय बजट पत्र (NSC) अथवा किसान विकास पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर आवेदन–पत्र के साथ देनी होगी।

अ	प्रथम श्रेणी के लिए	50,000.00
ब	द्वितीय श्रेणी के लिए	30,000.00
स	तृतीय श्रेणी के लिए	20,000.00

4. **पंजीकरण शुल्कः–**

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पालिका परिषद् चिन्यालीसौड के कोष में जमा करनी होगी।

अ	प्रथम श्रेणी के लिए	15,000.00
ब	द्वितीय श्रेणी के लिए	10,000.00
स	तृतीय श्रेणी के लिए	5,000.00

5. **पंजीकरण की अवधिः–**

प्रत्येक वर्ष में मात्र अप्रैल से जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू. 100.00 नगर पालिका कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6. **नवीनीकरण की प्रक्रियाः–**

ठेकेदारों को प्रत्येक 3 वर्ष में श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगा।

1. नवीनीकरण की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रू. 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

2. नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मूल्य रू. 100.00 होगा, नगर पालिका परिषद् चिन्यालीसौड कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष में किये गये विवरण कार्यों का विवरण देना होगा।

3. नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पालिका परिषद्, चिन्यालीसौड के कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पालिका परिषद् चिन्यालीसौड के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

अ	प्रथम श्रेणी के लिए	3000.00
ब	द्वितीय श्रेणी के लिए	2000.00
स	तृतीय श्रेणी के लिए	1000.00

4. अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।

5. नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा तीन वर्ष बाद नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र/नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिए शपथ–पत्र देना होगा।

7. **निमार्ण के सम्पादन की सीमाः–**

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों का निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः–

1. प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

2. द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू. 05.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

3. तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू. 01.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

8. निविदा प्रपत्र की लागतः–

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आंगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगाः–

	कार्यों की लागत (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)
अ.	50,000.00 तक	100.00
ब.	50,000.00 से 1,00,000.00 तक	200.00
स.	1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	400.00
द.	2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	500.00
य.	4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	800.00

रूपये 8,00,000.00 रूपये से ऊपर के कार्यों के प्रपत्र कर मूल्य प्रति 10,000.00 रूपये पर 10.00 रू. के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेले के लिए नगर पालिका परिषद् चिन्यालीसौड से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगरपालिका चिन्यालीसौड के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेची जायेगी।

9. निविदा स्वीकार करने का अधिकारी:–

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने की तिथि से 6 माह तक उन्ही दरों कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10. धरोहर राशिः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रक्यूरमेंट) नियम 2008 एवं 2017 में किये गये प्रावधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचंत पत्र किसान विकास पत्र एवं एफ. डी. आर., सी. डी. आर. के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक देनी होगी।

11. ठेकेदार का भुगतानः–

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर (जी. एस. टी.) एवं जमानतें की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। जमानत राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुत पर किया जायेगा।

12. **कार्य पूर्ण करने की अवधिः–**

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा, कि वह निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढानें हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना–पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढानें की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है।

13. **पंजीकरण का निरस्तीकरणः–**

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभयन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में डाल सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर पालिका को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा।

14. **जमानत जब्त करने का अधिकारः–**

यदि ठेकेदार नगर पालिका परिषद् चिन्यालीसौड के उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध–पत्र का उल्लंघन कर नगर पालिका परिषद्, चिन्यालीसौड को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जाँच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पालिका परिषद्, चिन्यालीसौड की क्षतिपूर्ति न हो तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

05 दिसम्बर, 2018 ई0

पत्रांक–607/नपा0उपविधि/गजट/2018–19–नगरपालिका परिषद्, चिन्यालीसौड, जनपद–उत्तरकाशी सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा–2, खण्ड (झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2018 बनाई जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अतः समाचार–पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। निर्धारित समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति एवं सुझाव पालिका परिषद् को प्राप्त न होने के फलस्वरूप पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 12.04.2018 में अन्तिम रूप से स्वीकार करते हुए उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि–2018

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड, जनपद–उत्तरकाशी की नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि–2018 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड जनपद–उत्तरकाशी के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषायें–

1. नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोडकर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
2. **'उपविधि'** से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।
3. **'नगर पालिका परिषद'** से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद से है।
4. **"अधिशासी अधिकारी"** से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत उतरप्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा–नियमावली –1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।
5. **'सफाई निरीक्षक'** से तात्पर्य नगरपालिका चिन्यालीसौड में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका उस अधिकारी/कर्मचारी से है जसे उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है।
6. **'निरीक्षण अधिकारी'** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी है जिन्हे समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।
7. नियम से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 648 नई दिल्ली मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये से है।
8. अधिनियम से तात्पर्य (उत्तर प्रदेश) उत्तराखण्ड नगर पालिका अधिनियम से है।

9. **'जीव नाशित।/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट'** (biodegerabable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट ये जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना सब्जी एवं फलों के छिल्के फूलों पौधों आदि के पत्तें एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

10 **'जीव अनाशित अपशिष्ट'** (non biodegerabable waste) का तात्पर्य ऐसे कूडा–कचरा सामग्री से है जो जीव नाशित कूडा कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

11 **'पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट** (recyciable waste)से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है जैसे–प्लास्टिक पौलीथीन (निर्धारित माईकोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड आदि।

12 **'जैव चिकित्सीय अपशिष्ट'**(viomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदाना, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

13 **'संग्रहण'** '(collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

14 **'कचरा खादद बनाने'** (composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

15 **'ढहान तथा निर्माण सम्बन्धित अपशिष्ट'** (demolition and construction waste) से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोडियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

16 **'व्ययन'** (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

17 **'भूमिकरण'** (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उडने वाली धूल, हवा के साथ सडने वाला कूडा बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशीजीव/कृत्तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है।

18. **'निक्षालितक'** (leachate) स वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है। तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलबिम्त पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

19. **'नगर पालिका प्राधिकारी'** (municipal authority) में म्युनिशपल कॉपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी,नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन.ए.सी.) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

20. **'स्थानीय प्राधिकारी'** (local authority) का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

21. **'नगरीय ठोस अपशिष्ट** (municipal solid waste) के अर्न्तगत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों कों छोडकर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

22. **'सुविधा के परिचालक'** (operator of facility) से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाप की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों कि प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। 'प्रसंस्करण' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तिन किया गया है।

23. **'पुनः चक्रण'** (recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन किया जाता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

24. **'पृथक्करण'** (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गो से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

25. **'भण्डारण'** (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूडा–कचरा रोग वाहकों के आकर्षित करने आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सकें।

26. **'परिवहन'** (transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ठ का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध कूडा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सकें।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सडक, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादक व्यक्ति/स्थापना अपशिष्ट उत्पादन स्थल पद दो कूडेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहीत करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादक व्यक्ति /स्थाना द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पालिका, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जैव नाशित कूडा जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेंगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिये जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढाहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठवाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से द्वारा जहां भी संभव हो बागवानी व सभी पेड पौधों के कूडे परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा जहां ऐसा करना संभव न हो तो नगरपालिका से संपर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय/ (hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा से जमा रखना होगा और 15 दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्टों का प्रबंधन जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा बिना उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को ना जलायेगा और न ही जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथ्थकरण, संग्रहण, भण्डारण परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी का होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूज़र चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूचल किया जा सकेगा जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में नगर पालिका/सुविधा प्रचालन के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी जिसकी गणना रू. 5/रू. को पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाली यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–सेवा शुल्क (user charges)

क्र. स.	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि रू. में
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर	रू. 10.00
2	कम आय वाले घर	रू. 30.00
3	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रू.50.00
4	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली में फेरी में रू. 10.00 प्रतिदिन दुकान/फड पर रू. 200.00 प्रतिमाह
5	रेस्टोरेन्ट	न्यूनतम 500.00 प्रतिमाह तथा 20 किग्रा. से अधिक प्रति 50 किग्रा. अथवा भाग पर रू. 50.00 प्रतिदिन अतिरिक्त
6	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस	20 बेड तक रू. 500.00 प्रतिमाह 21 बेड से 40 बेड तक रू. 1000.00 प्रतिमाह एवं 41 से अधिक बेड तक रू. 2000.00 प्रतिमाह
7	आश्रम/अखाडा	21 बेड तक रू. 500.00 21 बेड से 40 बेड तक रू. 700.00 प्रतिमाह एवं 41 से अधिक बेड तक रू. 1000.00 तथा भण्डारा/उत्सव आयोजन रू. 2000.00 प्रतिमाह
8	धर्मशाला	10 कमरों तक रू. 200.00 प्रतिमाह 11 से 25 तक रू. 300.00 प्रतिमाह 25 से अधिक 400.00 प्रतिमाह इस से अतिरिक्त विवाह/उत्सव आयोजन पर रू. 500.00 प्रतिदिन अतिरिक्त
9	बारातघर	रू. 600.00 प्रतिमाह एवं विवाह/उत्सव आयोजन पर रू. 1000.00 प्रति उत्सव/विवाह
10	बैकरी	रू. 500.00 प्रतिमाह
11	कार्यालय	न्यूनतम रू. 200.00 प्रतिमाह 51 कर्मचारियों से 100 तक रू. 300.00 प्रतिमाह 101 से 300 तक रू. 400.00 प्रतिमाह एवं उससे अधिक पर रू. 500.00
12	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100 बैड तक के लिये रू. 1000.00 प्रतिमाह उससे अधिक रू. 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
13	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक रू. 200.00उससे अधिक रू. 500.00 प्रतिमाह
14	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	20 बेड तक रू. 400.00 प्रतिमाह 21 बेड से 40 बेड तक रू. 500.00 प्रतिमाह

क्र. स.	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि रू. में
	(बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	एवं 41 से 100 बेड तक रू. 700.00 प्रतिमाह उससे अधिक रू. 1000.00 प्रतिमाह
15	क्लीनिक (मेडिकल)	रू. 200.00
16	दुकान	रू. 100.00
17	फैक्ट्री	रू. 500.00
18	वर्कशॉप/कबाडी	रू. 500.00
19	गन्ने का रस/ जूस विक्रेता	रू. 200.00
20	सार्वजनिक/ निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पदन्न हो	रू. 500.00
21	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी. तक रू. 100.00, 1.0 घन मी. तक रू. 200.00, 3.0 घन मी.तक रू. 500.00, 6.0 घन मी. तक रू. 1000.00 इससे अधिक प्रति घन मी. रू. 200.00 अतिरिक्त

जैविक अपशिष्ट (Biodegrable)	पुनः चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable)	घरेलू परिसंकटमय (Hazardou)
हर प्रकार का पका बिना हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैब
सब्जी एवं फलों के छिल्के फूल एवं घरेलू पौधों का कूडा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल, फ्लैसाईट/कार बैटरी
घरेलू झाडे से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लीचे, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनेटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटूय को छोडकर	आयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार के कांच/धातु/रबड लकडी	रसायन तथा उसके खाली डिब्बे सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल, पुडिया ट्रेटोपक कैसेट कम्प्यूटर किस्केट, इलेक्ट्रोनिक पुर्जे, खराब कपडे, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन सुई तथा सिरिज खराब दवाईयाँ कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाईट बल्ब टयूब लाईट तथा छोटे फलासेन्ट बल्ब थर्मामीट एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट तेल, गौंद, थीनर तथा उनके डिब्बे फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उलल्घंन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली–2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू. 5000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरस्तरण किया जाये, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्वि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना–सिद्व हो, रू. 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् चिन्यालीसौड, जनपद उत्तरकाशी में अन्तिम रूप में निहित होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
चिन्यालीसौड़।

ह0 (अस्पष्ट),
प्रभारी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
चिन्यालीसौड़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/124–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।